राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 318/2025

चेतना कुमारी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार सेवाऐं विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान।
3. निदेशक (अराजपत्रित)(प्रशासन), पंचायती राज(चिकित्सा) विभाग, राज. जयपुर।
4. ममता मीणा नर्सिग अधिकारी, मथुरा दास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक मेडीकल कॉलेज, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.01.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री कैलाश सिंह भाटी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफीसर के पद पर नवीन चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, कोटा में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से एमजीएच, जोधपुर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी एकल महिला है। अपीलार्थी का दिनांक 07.02.2014 को विवाह विच्छेद हो गया था। राज्य सरकार की नीति के अनुसार विवाह विच्छेद महिला का जिले से बाहर स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए। दौराने बहस अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन रहा है कि अपीलार्थी के पिता बीमार रहते है। जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर ही है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण दूरस्थ किए जाने से अपीलार्थी को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पडेगा।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया। हम पाते है कि अपीलार्थी एकल परित्यक्ता महिला है।
4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 3 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)